भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1179

मंगलवार, 11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

नए उद्योगों की स्थापना

1179. श्री उम्मेदा राम बेनीवालः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में विशेषकर राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योग शुरू करने और संचालित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राजस्थान में नए उद्योग स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान कर रही है;

(घ) यदि हां, तो वर्तमान वर्ष सहित विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का उद्योग/कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, पंचपदरा के निकट जैव-उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): उद्योग राज्य का विषय है। हालांकि, केंद्र सरकार राजस्थान सहित देश के विभिन्न भागों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर कई पहलें और नीतियां शुरू करती है। विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की चल रही स्कीमों के अलावा, भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न अन्य उपाय किए हैं। सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई), ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ावा देना और अनुपालन बोझ कम करना, राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस), भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में सुधार, परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) इत्यादि जैसे विभिन्न उपाय लागू किए हैं, जो पूरे देश में प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना में सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही, निवेश को फास्ट-ट्रैक करने के लिए भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी) के रूप में एक संस्थागत तंत्र लागू किया गया है। जिला-वार विवरण उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) : राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण अनुबन्ध में शामिल हैं।

(च) और (छ) : एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियम, 2006 के तहत स्थापित किए जा रहे एसईजेड मुख्य रूप से निजी निवेश संचालित पहलें हैं, जिन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग स्थापित किया जा सकता है। वर्तमान में, सरकार को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के पास जैव- उत्पाद विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****

अनुबंध

दिनांक 11.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1179 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्तमान वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा:

- **राजस्थान निवेश संवर्धन स्कीम (आरआईपीएस)** वर्ष 2022-23, 2023-2024 और वर्ष 2024-25 (दिनांक 06.02.2025 तक) = 935.03 करोड़
- **डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, जनजातीय उद्यम प्रोत्साहन योजना (बीआरयूपीवाई)** – वर्ष 2022-23 : 79 इकाइयों को 7.69 करोड़, वर्ष 2023-24 : 913 इकाइयों को 60.77 करोड़ और वर्ष 2024-25 (दिनांक 06-02-2025 तक) 531 इकाईयों को 40.97 करोड़ **कुल:** 109.43 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं।
- **मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (एमएलयूपीवाई) –** वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक), उद्यमियों को बैंक ऋण पर कुल 474.25 करोड़ रुपये की कुल ब्याज सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की गई है।

*****